

समाहरणालय, गुमला।  
(कार्यालय, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गुमला)

आदेश

गुमला जिला में अवस्थित सम्प्रेक्षण गृह के अधीन सृजित पद समूहों के विरुद्ध समेकित बाल संरक्षण योजना के चिन्हित पदों के अनुसार संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड रांची के पत्रांक 2757 दिनांक 12.10.2018 द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार प्राप्त आवेदन पत्रों का अंतिम मेधा सूची एवं कम्प्युटर जांच परीक्षा के आधार पर दिनांक 11.06.2019 को चयन कमिटी की बैठक में सभी शर्तों को पूरा करने वाले गुमला जिले के आवेदकों का संविदा के आधार पर नियुक्ति निम्न मानदेय के अनुसार किया जाता है -

क्र०स०	पद का नाम	वित्त विभाग संकल्प सं०- 965 वि० दि० 25.03.2009 एवं संकल्प सं० 2176/वि० दि० 28.07.2015 के आलोक में निर्धारित संविदा गत पारिश्रामिक राशि	चयनित उम्मीदवार का नाम/पता	नियुक्ति अवधि
01	अधीक्षक	28755.00	<b>अभिनाश कुमार,</b> पिता- उपेन्द्र कुमार गिरी, पता- पालकोट, रोड सरना टोली हसनगर नियर राज विद्या केन्द्र पो०+थाना+जिला- गुमला।	.1 वर्ष
02	गृहपति	16188.00	<b>इजरस कुजूर,</b> पिता- जानसन कुजूर पता- जी०ई०एल० लुथरन मिशनहाता पो०+थाना+जिला- गुमला।	1 वर्ष
03	परीविक्षा पदाधिकारी	28755.00	<b>कन्हैया सोनी,</b> पिता- स्व० अशोक सोनी, पता- मुरली बगीचा, पो०+थाना+जिला- गुमला।	1 वर्ष
04	शिक्षक	17640.00	<b>सोनी प्रतिभा टोप्पो,</b> पिता- अहलाद टोप्पो, पता- चेटर टुकोटोली, पो०+थाना+जिला- गुमला।	1 वर्ष
05	पारा चिकित्सक	15123.00	<b>प्रदीप साहु,</b> पिता- कृष्णा साहु, पता- कसीरा पंडरापानी पालकोट, पो०+थाना+जिला- गुमला।	1 वर्ष
06	भंडारपाल- सह- लेखापाल	15123.00	<b>संगीता कुमारी,</b> पति- मिथिलेश कुमार, पता- साहु घाटो बगीचा, पो०+थाना+जिला- गुमला।	1 वर्ष

संविदा पर नियुक्ति की शर्तें -

9. संविदा एक वर्ष हेतु अनुमान्य होगा। आवश्यकतानुसार अग्रेत्तर वार्षिक कार्य मूल्यांकन के आधार पर अनुबंध अवधि का विस्तार किया जाएगा।
10. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर संविदा के आधार पर अनुबंधित व्यक्तियों को एक माह की नोटिस पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
11. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों का स्थाई नियोजन नहीं होगा बल्कि स्वीकृत मानेदय के विरुद्ध उन्हें कार्य करने के लिए अनुबंधित किया जाएगा।
12. विभाग आवश्यकतानुसार विज्ञापन की शर्तों एवं पदों की संख्या में संशोधन कर सकता है।
13. संविदा पर नियुक्त कर्मियों की मासिक पारिश्रमिक राशि के संबंध में योजना-सह-वित्त विभागश् झारखण्ड, रांची द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, वह मान्य होगा।
14. संविदा पर नियुक्त कर्मों को कैलेन्डर वर्ष के लिए राज्य कर्मियों के अनुसार आकस्मिक अवकाश देय होगा, परन्तु वे किसी अन्य अवकाश के हकदार नहीं होंगे।
15. संविदा पर नियुक्त कर्मों का पद स्थानांतरित नहीं होगा।
16. संविदा पर नियुक्त कर्मों के लिए के लिए राज्य कर्मियों की तरह आचार संहिता लागू होगा।

20/6/19  
जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,  
गुमला।

ज्ञापांक 608 दिनांक 20.06.2019

प्रतिलिपि- वेब मेनेजर-सह- अपर समहर्ता, गुमला को सादर सूचनार्थ । अनुरोध है कि चयनित अभ्यर्थियों का नाम जिला के NIC वेबसाईट में प्रकाशित करने की कृपा की जाये।

प्रतिलिपि- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, गुमला को सादर सूचनार्थ ।

20/6/19  
जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,  
गुमला।